

संदर्भ संख्या : 40017724029228 , दिनांक - 25 Jun 2024 तक की स्थिति

**आवेदनकर्ता का विवरण :****शिकायत संख्या:-**

40017724029228

**आवेदक का नाम-**

Atul Kumar

**विषय-**

सेवा में, श्रीमान थाना अध्यक्ष अयोध्या उत्तर प्रदेश। विषय - उत्पीड़न क विरुद्ध शिकायत। निवेदन है कि मैं अतुल कुमार पुत्र सरजू प्रसाद 597 सूबेदार का पूर्वा गददोपुर, पोस्ट मझवां जिला अयोध्या कि निवासी हूं। श्रीमान दिनांक 230624 सुबह 10 बजे मेरे पिता अपने कुछ परिचित लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी अचानक दो लोग आए और उनमें से एक व्यक्ति जिसने अपना नाम निर्मल पांडेय बताया और अपने आप को न्यूज़ रिपोटर भी बता रहा था। उसने चल रहे सत्संग में विघ्न डाला और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और काफी पूछताछ करने के बाद गलत आरोप लगाने लगा। उसके जाने के बाद वहां पर पुलिस आई और पुलिस वाले भी मेरे पिता की बात न सुन कर उल्टा मेरे पिता को ही उलटी सीधी बातें बोलने लगे। हम लोग यीशु मसीह के अनुयाई हैं उनमे हमारी आस्था है और अपने घर में उनका सत्संग करते हैं। लेकिन हम लोगों ने धर्मांतरण नहीं किया है। हम लोग पहले भी हिंदू थे और आज भी हम हिंदू हैं। इस कारण मेरे पिता को 23062024 शाम 5 बजे पुलिस वाले यह बोलकर लेकर गए कि तुम धर्मांतरण का काम करते हो। इस घटना की शिकायत {शिकायत संख्या 40017724028962} मैंने कल ही शाम 7 बजे जनसुनवाई में कर दिया था। उसके पश्चात् पुलिस वाले लगभग 5 बार आ चुकी है। कल रात उनलोग ने मेरे पिता जी फ़ोन ले गये है। आज फिर दिनांक 24062024 {दो बार } शाम 6 बजे पुलिस घर पर आकर हम मां बेटे से भी काफी बदतमीजी की गाली गलौज किया और अभद्र बातें कि और कहने लगे कि अगर तुम लोग में से कोई थाने पर आएगा तो तुम्हारे पति को जेल भेज देंगे और कहने लगे की अगर ज्यादा चालाकी दिखाओगे तो तुम सबको जेल भेज देंगे और धमकी देने लगे। और कहने और लगे की तुम और जब मेरे बहन ने विरोध किया तो कहने लगे की हम तुम सबको सबक सिखायेंगे और किसी भी बड़ी सजा के झूठे केस में या धर्मान्तरण के केस में फंसा देंगे तब तुमको पता। और कहने लगे की तुम लोग धर्म बदलने का काम करते हो। आज दिनांक 24062024 हम लोग पूरे दिन कचहरी में इन्तजार करते रहे लेकिन मेरे पिता को रिमांड मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया है आज करीब 28 घंटे हो चुके हैं लेकिन अब तक मेरे पिता को रिहा नहीं किया गया है अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। कि कहां रखा गया हैं। और आज फिर दिनांक 24062024 महोदय, आपसे निवेदन है की थाना कोतवाली, अयोध्या की CCTV फुटेज को दिनांक 23.06.2024 से दिनांक 25.06.2024 तक सुरक्षित रखा जाए ताकि पुलिस के षडयंत्र और संलिप्तता को भी देखा जा सके। किसी भी ईश्वर या देवी देवता को मानना संविधान के अनुच्छेद 25 में दी गयी स्वतंत्रता है। आपसे अनुरोध है। की यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोकने, झूठी व गलत खबर फैलाने, हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और संवैधानिक अधिकारों के उपयोग को रोकने के लिए इन लोगो सख्त कारवाही करें और हमारी जान माल की रक्षा करें। धन्यवाद अतुल कुमार 8004991739

**विभाग -**

पुलिस

**शिकायत श्रेणी -****निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि -**

04-07-2024

**शिकायत की स्थिति -****स्तर -**

थाना स्तर

**पद -**

थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक

**प्राप्त रिमाइंडर-****प्राप्त फीडबैक -**

दिनांक को फीडबैक:-

**फीडबैक की स्थिति -****संलग्नक देखें -**[Click here](#)**नोट-** अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है।

अग्रसारित विवरण :

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
--------	-------------------	------------------------	------------------	-------------	--------------------	------	--------

1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	24-06-2024	04-07-2024	थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक- कोतवाली नगर, जनपद- अयोध्या, पुलिस		अनमार्क
---	--------	-------------------	------------	------------	--	--	---------

संदर्भ संख्या : 40017724028962 , दिनांक - 23 Jun 2024 तक की स्थिति

**आवेदनकर्ता का विवरण :****शिकायत संख्या:-**

40017724028962

**आवेदक का नाम-**

Atul Kumar

**विषय-**

सेवा में, श्रीमान थाना अध्यक्ष, कोतवाली सदर कैंट जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश विषय :- धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के हनन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने हेतु निवेदन है कि मेरा नाम अतुल कुमार पुत्र सरजू प्रसाद 597 सूबेदार का पूर्वा गददोपुर, पोस्ट मझवां जिला अयोध्या का निवासी हूँ श्रीमान आज दिनांक 23/06/24 सुबह 10 बजे मेरे पिता और उनके कुछ परिचित लोगों के साथ एक परिवार सत्संग कर रहे थे तभी अचानक दो लोग आए और उनमें से एक जिसका नाम निर्मल पांडेय बताया मैं न्यूज़ रिपोटर बता रहा था। उसके बाद उसने चल रहे संतसंग में विगन्ह डाला और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और काफी पूछताछ करने के बाद गलत आरोप लगाने लगे कि तुम यहां पर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हो और यहां पर हमें संगति करने नहीं दिया और फिर कुछ देर बाद यहां पुलिस आई वे भी उल्टा सीधा बोलने लगे और हमारे पिता जी साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि तुम यीशु मसीह को मानते हो बोल कर धमकी देने लगे जैसे ही हम लोगों ने मना किया उन लोगों ने जाति सूचक गालियां देने लगे और झूठे धर्म परिवर्तन के मामले में फंसाने की धमकी देने लगे और फिर चले गए। उसके बाद शाम 5 बजे फिर से पुलिस आई और मेरे पिता जी को बिना किसी कानूनी अधिकार के उनको कोतवाली सदर कैंट लगभग 5:20 थाने ले गई। महोदय आप से निवेदन है कि मेरे पिता जी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने पाए। धन्यवाद प्रार्थी नाम अतुल कुमार अयोध्या उत्तर प्रदेश 9198643595

**विभाग -**

पुलिस

**शिकायत श्रेणी -****निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि -**

03-07-2024

**शिकायत की स्थिति -****स्तर -**

थाना स्तर

**पद -**

थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक

**प्राप्त रिमाइंडर-****प्राप्त फीडबैक -**

दिनांक को फीडबैक:-

**फीडबैक की स्थिति -****संलग्नक देखें -**[Click here](#)**नोट-** अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है।**अग्रसारित विवरण :**

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	23-06-2024	03-07-2024	थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक- कोतवाली नगर,जनपद- अयोध्या,पुलिस		अनमार्क